UPBS120000661997

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 800/1997

विद्या प्रसाद बनाम श्रीमती जयंत्री देवी

<u>08.09.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 77 क^{2} के निस्तारण हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 77 क^{2} प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी विद्या प्रसाद की मृत्यु दिनांक 14.02.2022 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिस उनके पुत्रगण एवं उनकी पत्नी हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हैं। अतः मृतक के विधिक वारिसान को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 79 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र में पैरा 37 जनरल रूल सिविल का पालन नहीं किया गया है। जातीय इल्म व विधिक राय का सम्मिलित सत्यापन भी आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के अनुसार न होने के कारण पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 77 क^{2} वादी विद्या प्रसाद की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विधिक वारिसों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिसान जरिए वकालतनामा कागज सं० 80 ग 2 हाजिर हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बहुलता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 77 क^{2} स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 77 क^{2} स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 06.10.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।